

भारतीय गैर न्यायिक


TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

08AD 967572

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



प्रारूप-26

(नियम 4क देखिए)

कानपुर खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम) विधान परिषद (सदन का नाम)
के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-अ



मैं, विजय सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. बद्री प्रसाद आयु 64 वर्ष जो 4/12 बेनाझाबर कालोनी कानपुर
नगर का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ
शपथपत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- (1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे निर्दलीय (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है/निर्दलीय
अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।
- (2) मेरा नाम 213-सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र, राज्य-उत्तर प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम), में
क्रम सं. 761 पर, भाग सं. 38 में प्रविष्ट है।
- (3) मेरा/मेरे नाम 9935646424 सम्पर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं औरx..... ई-मेल
पता (यदि कोई हो) है।

[Handwritten signature]

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

क्रम सं.	नाम	पैन (स्थायी खाता संख्या)	वित्तीय वर्ष जिसके लिये अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	विजय सिंह (स्वयं)	एएसपीवाई 5155 जी	2015-16	3,25,787/-
2.	शीला यादव (पत्नी)	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
3.	आश्रित-1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित-2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	आश्रित-3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी)

(i) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिये आरोप विरचित किये है, निम्नलिखित हैं:-

(क)	संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं	कोतवाली थाना कानपुर मु0सं0-378/98
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये आरोपित किया गया है।	धारा-147, 341 आई.पी.सी. (7 क्रिमिनल एक्ट)
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	सी.जे.एम., कानपुर नगर।
(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विचरित किए हैं।	लागू नहीं
(ङ)	तारीख जिस पर आरोप विचरित किए गए	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या किसी कार्यवाही पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लंबित है, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है "झ" ऊपर मद (त) में लिखित मामलों के अलावा:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	सी.जे.एम. कानपुर नगर संज्ञान में नहीं लिया गया।
(ख)	मामलों का ब्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया	लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिये आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई है), के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न किसी अपराध (अपराधों) के लिये सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनिष्ठ नहीं किया है।



[Handwritten Signature]

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया या दंडादिष्ट किया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:-

(क)	सम्बन्धित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का ब्यौरा और अपराधों का वर्णन जिनके लिये सिद्धदोष किया गया।	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला सं. और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/हैं। यदि हां तो अपील का ब्यौरा और उसकी वर्तमान प्रायस्थिति:	लागू नहीं

(7) यह कि मैं अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थाई और अस्थायी आदि) का ब्यौरा यहां नीचे देता हूँ:-

क. जंगम सम्पत्तियों का ब्यौरा :

टिप्पण 1 : संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना है।

टिप्पण 2 : निपेक्ष/विनिधान की दशा में, क्रम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।

टिप्पण 3 : वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की बाबत स्टॉक एक्सचेन्ज में और असूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।

टिप्पण 4 : आश्रित का वही अर्थ है, जो जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-75 के स्पष्टीकरण (v) में उसका है।

टिप्पण 5 : प्रत्येक विनिधान की बाबत सहित रकम ब्यौरे पृथक् रूप से दिया जाना है।

(क्र म सं.)	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में रोकड़	₹5,000/-	₹2,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में निक्षेप के ब्यौरे (एफडीआर, अवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निक्षेप), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम	सेन्द्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा-बी. एन.एस.डी. इ. कालेज, कानपुर के खाता सं. 145960869 0 में जमा ₹20,487/-	बैंक आफ इण्डिया शाखा हर्ष नगर कानपुर के खाता सं. -69531010001161 7 में जमा ₹1,34,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों और कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	एनएसएस, डाकीय बचत,	लागू नहीं	एल.आई.सी. पॉलिसी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Handwritten signature

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)


	बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक विभाग व बीमा कंपनी के किसी वित्तीय लिखित में विनिधान और रकम		संख्या- 212178834 कीमती ₹15,000/-			
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियां और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/नाव/जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्यौरा खरीद के वर्ष और रकम)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लागू नहीं	सोने के जेवर कुल वजनी 17 ग्राम, कीमती ₹51,000/- चाँदी के जेवर वजनी 250 ग्राम कीमती ₹12,500/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावे का मूल्य/ब्याज	रिवाल्वर कीमती ₹1,00,000/ बन्दूक कीमती ₹30,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ix	सकल कुल मूल्य	₹1,55,487/-	₹2,14,500/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 : संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना करें।

टिप्पण 2 : इस रूपविधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का अलग से उल्लेख होना चाहिए।

(क्रम सं.)	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक	ग्राम बरोही अम्बेडकर नगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	8 बीघा 5 बिस्वा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासती सम्पत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



(Handwritten signature)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

	सरकारी परिवहन से संबन्धित विभाग को देय (वायुयानों और हेलीकॉप्टरों सहित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आयकर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सम्पत्ति कर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सेवा कर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगर पालिका/सम्पत्ति कर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	बिक्रीकर देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सरकारी के सभी देयों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि है तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी का उल्लेख करें, जिसके समक्ष यह लम्बित है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :-

- (क) स्वयं पेशनर, शिक्षक (सेवा निवृत्त), बी.एन.एस.डी. इन्टर कॉलेज, चुन्नीगंज, कानपुर नगर।
(ख) पति/पत्नी गृहणी

10. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :-

कक्षा	वर्ष	विद्यालय का नाम
हाईस्कूल	1969	राष्ट्रीय इं.कॉलेज तेन्दुआई कलां, फैजाबाद।
इन्टरमीडियेट	1971	शिवली नेशनल महाविद्यालय, आजमगढ़।
बी.ए.	1974	गोरखपुर विश्वविद्यालय (शिवाजी डिग्री कॉलेज, आजमगढ़)
एम.ए.	1977	कानपुर विश्वविद्यालय (वी.एस.एस.डी. कॉलेज, नवाबगंज, कानपुर)
बी.एड.	1975	कानपुर विश्वविद्यालय (वी.एस.एस.डी. कॉलेज, नवाबगंज, कानपुर)

(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)

भाग-ख

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिये गये ब्यौरे का सार :

1	अभ्यर्थी का नाम	विजय सिंह
2.	डाक का पूरा पता	4/12 बेनाझाबर कालोनी, कानपुर नगर।
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	कानपुर खण्ड शिक्षक निर्वाचन, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश।
4.	राजनीतिक दल का नाम जिसने	सनिर्दलीय



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

	अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा सनिर्दलीय लिखें)	
5.	(i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिये आरोप विरचित किये गये हैं।	एक
	(ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय/न्यायालयों ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागू नहीं
6.	उन मामलों की संख्या जिनमें दोष सिद्ध और एक वर्ष या अधिक से कारावास से दंडानिष्ट किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय	लागू नहीं

(iv)	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
आवासिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) -स्थान	बेनाझाबर कालोनी कानपुर नगर (सरकारी)	भूखण्ड स्थित होरा बांगर, मन्चना, कानपुर नगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
-सर्वेक्षण संख्या	4/12	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्षेत्र (वर्गफिट में कुल माप)	400	900	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निर्मित क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	400	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्या विरासती सम्पत्ति है (हाँ/नहीं)	हाँ	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	14/11/2014	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	₹3,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	₹8,00,000/-	₹6,50,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं


[Handwritten Signature]

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

	(जैसे सम्पत्ति में हित)					
(iv)	ऊपर (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	₹8,00,000/-	₹9,50,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-
(टिप्पण : कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यष्टि के नाम और रकम के अलग-अलग ब्यौरे दें)

(क्रम सं.)	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	बैंक या वित्तीय संस्था का नाम,	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	बकाया रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ऋण का प्रकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ऊपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टि/अस्तित्व के ऋण या देय, नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	सरकार के देय :	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी वास सुविधा से सम्बन्धित विभाग को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल प्रदाय से सम्बन्धित विभाग को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित विभाग को देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलीफोन/मोबाइलों की पूर्ति से सम्बन्धित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



[Handwritten Signature]

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

7.		का स्थायी खाता संख्या (पीएएन)	वर्ष जिसमें अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	दर्शायी गई कुल आय			
	(क) अभ्यर्थी विजय सिंह	एएसपीवाई 5155 जी	2015-16	3,25,787/-			
	(ख) पति या पत्नी शीला यादव (पत्नी)	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य			
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			
8.	आस्तियों और दायित्वों के रूपये में ब्यौरे						
	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
अ.	जंगम आस्ति (कुल मूल्य)	₹1,55,487/-	₹63,500/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
आ	स्थायर आस्ति						
	i.	स्वअर्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत	लागू नहीं	आवासीय प्लॉट स्थित होरा बांगर कानपुर नगर कीमती ₹3,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ii.	क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति के विकास/निर्माण की लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	iii.	(क) स्वअर्जित आस्तियों (कुल मूल्य)	₹1,55,487/-	₹3,63,500/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		(ख) विरासती आस्तियों (कुल मूल्य) की कुल अनुमानित वर्तमान बाजारी कीमत	₹26,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	i	सरकार के देय (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

[Handwritten Signature]



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

	(कुल)					
10.	दायित्व जो विवादग्रस्त हैं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	i सरकार के देय (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ii बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :- (प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)					

कक्षा	वर्ष	विद्यालय का नाम
हाईस्कूल	1969	राष्ट्रीय इं.कॉलेज तेन्दुआई कलां, फैजाबाद।
इन्टरमीडियेट	1971	शिवली नेशनल महाविद्यालय, आजमगढ़।
बी.ए.	1974	गोरखपुर विश्वविद्यालय (शिवाजी डिग्री कॉलेज, आजमगढ़)
एम.ए.	1977	कानपुर विश्वविद्यालय (वी.एस.एस.डी. कॉलेज, नवाबगंज, कानपुर)
बी.एड.	1975	कानपुर विश्वविद्यालय (वी.एस.एस.डी. कॉलेज, नवाबगंज, कानपुर)

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य व सही है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि :-

(क) पूर्वोक्त भाग - अ की मद 5 और मद - 6 और भाग - आ में उल्लिखित से भिन्न किसी मामले में मैं दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विरुद्ध लम्बित नहीं है।

(ख) पूर्वोक्त भाग - अ की मद 7 और मद - 8 तथा भाग - आ के मद - 8, मद - 9 और मद-10 में उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरे पति/मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई भी अस्ति या दायित्व नहीं है।

कानपुर नगर स्थान पर आज तारीख 13/01/2017 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर



This document is presented before me and who is where identified by me

Pankaj Agarwal, Advocate
Kampur Nagar
Govt. of India

13/01/2017